CONSTITUTIONAL LAW

(UNIT- 04)

TOPIC- EMERGENCY PROVISIONS (ART- 352-360)

EMERGENCY PROVISIONS

ART-352	ART-356	ART-360
National Emergency	**State Emergency**	Financial Emergency
	(Failure of constitution machinery)	
Reason	**Reason**	
1. War	1. Failure of Constitutional machinery in state	
2. External aggression	2. External aggression	
3. Armed Rebellion	3. Internal Disturbance	
Proclaim by president	**Proclaimed by president on the request of state governor.**	
For -1 month	**For- 2 month**	
Approved by parliament	**parliament approve**.	

भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि संकट काल में वह संघात्मक से एकात्मक रूप धारण कर लेता है।

संविधान निम्नलिखित तीन प्रकार के आपात का उपबन्ध करता है।–

01. राष्ट्रीय आपात,
02. राज्यों में सांविधानिक तन्त्र के विफल होने से उत्पन्न
03. वित्तीय आपात।

01. **राष्ट्रीय आपात –**

यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है या ऐसा संकट सन्निकट है तो राष्ट्रपति सम्पूर्ण भारत में या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकेगा।

44 संविधान संशोधन के पश्चात् गम्भीर संकट को जो आपात स्थित के लिए स्वीकार्य है तीन बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है।–

1. युद्ध
2. बाह्य आक्रमण
3. सशस्त्र विद्धोह

राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा को परिवर्तित व समाप्त करने वाली उद्घोषणा भी जारी कर सकता है।

राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा (आपात स्थिति , आपात समाप्ति) अपने सलाहकारी मंत्री मंडल व प्रधानमंत्री के लिखित सहाल पर जारी कर सकता है।

PARLIAMENT APPROVAL

आपात उद्घोषणा अपने जारी किये जाने की तिथि से 01 माह तक प्रवर्तन में रहती है यदि उसके पूर्व ही उसे संसद द्वारा अपने विशेष बहुमत से (सदस्यों के बहुमत व उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मत) 6 माह के लिए अनुमोदित न कर दी जाये।

6 माह के पश्चात् भी यदि आपात की स्थिति के उत्पन्न करने वाला संकट विद्यमान होना संसद को प्रतीत होता है तो संसद पुनः 06 माह के लिए आपात काल को जारी रख सकती है।

राष्ट्रीय आपात कब तक लागू किया जा सकेगा इसकी की अवधि भारतीय संविधान में वर्णित नही है।

आपात काल की समाप्ति के दो तरीके हैं–

1- राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो की अब संकट की स्थिति नहीं है और वह अपनी आपात उद्घोषणा को समाप्त द्योषित कर दे।

2- संसद विशेष बहुमत से आपात उद्घोषणा का अनुमोदन न करे या इसके विरूद्ध अपना बहुमत दे।

राष्ट्रीय आपात का प्रभाव –

कार्यपालिका पर प्रभाव :–

केन्द्र किसी विषय पर राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है। परन्तु राज्य सरकार बर्खास्त या निलम्बित नहीं की जाती है।

विधायी प्रभाव –

संसद को राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती शक्ति मिल जाती है। अर्थात् राज्य सूची के किसी विषय पर संसद भी विधान बना सकती है।

अवधि पर प्रभाव –

संसद विधि द्वारा लोक सभा तथा राज्य विधान सभा की अवधि सामान्य पांच वर्ष अवधि से एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

मूल अधिकारों पर प्रभाव –

आर्टि0 358 के अधीन आर्टी0 19 में प्रदत्त प्राधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण से देश की संकट के आधार पर निलम्बित किया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नही।

आर्टि0 20 व 21 में प्रदत्त अधिकारों का निलम्बन नहीं होगा।

02. राज्यों में राष्ट्रपति शासन – आर्टि0 356

राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि

1. राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
2. राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्ही निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है।
3. राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य की सांविधानिक असफलता के कारण राष्ट्रपति शासन की मांग करता है तो राष्ट्रपति आपात स्थिति की द्योषणा कर सकता है।

संसद का अनुमोदन –

ऐसी उद्द्योषणा 02 माह के अन्दर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होनी चाहिए। अनुमोदन के बाद यह उद्द्योषणा की तारीख से 06 माह की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहती है।

राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 01 वर्ष है लेकिन एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है यदि कुछ विशेष स्थिति विद्यमान है। निम्नलिखित है–

1. सम्पूर्ण भारत या सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति लागू है।
2. निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है।
3. लेकिन 03 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता।

राष्ट्रपति शासन का प्रभाव –

- राज्य मंत्रीपरिषद बर्खास्त कर दी जाती है और उसके सभी कृत्यों का निर्वहन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता हैं।
- राज्य विधानसभा बर्खास्त या निलम्बित कर दी जाती है और संसद को राज्य विषयों पर विधायी अधिकारित प्राप्त हो जाती है।
- राष्ट्रपति शासन का मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ता।

03.वित्तीय आपात (आर्टि0 360) –

वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है, जब उसे विश्वास हो जाये कि ऐसी स्थिति विद्यमान है, जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है।

वित्तीय आपात की घोषणा को दो महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं लेता।

वित्तीय आपात के प्रभाव –

राज्यों के राज्यपालों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे राज्यों के सभी धन एवम् वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें।

राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ एंव राज्य के अधीन कार्यरत सभी वर्गो के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कभी करे। इसमे उच्चतम एंव उच्च न्या0 के न्यायाधीश भी शामिल है।

संविधान का संशोधन

भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया आर्टि0 368 में दी गयी है। आर्टि0 368 (1) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।

आर्टि0 368 यह कहता है कि उस संविधान में किसी बात के होते हुये भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुये इस संविधान के किसी उपबन्ध का परिवर्द्धन , परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी।

भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया विषयों के महत्व के अनुसार सरल या कठिन बनायी गयी है। इसलिए संशोधन की दृष्टि से संविधान के उपबंधो का निम्नलिखित में अध्ययन किया जा सकता है –

1. सामान्य विधायी प्रक्रिया,

2. **विशेष बहुमत द्वारा,**
3. **विशेष बहुमत एंव राज्य विधान मण्डलों का अनुसमर्थन द्वारा।**

01. सामान्य विधायी प्रक्रिया –

कुछ अनुच्छेदों के उपबंधों में साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है जैसे आर्टि0 4, 169, व 239 क संसद को प्राधिकृत करते है कि वह साधारण प्रक्रिया द्वारा उनमें दिये गयें आर्टि0 के उपबंधों में संशोधन कर सकती है।

02. विशेष बहुमत द्वारा आर्टि0 368 में संशोधन की सामान्य प्रक्रिया यह है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पर ऐसा विधेयक और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।

03. **विशेष बहुमत एंव राज्य विधान मण्डलों का अनुसमर्थन द्वारा** –आर्टि0 368 (2) के परन्तुक में कुछ उपबंधों के बारे में जो देश के परिसंघीय ढांचे से संबंधित है ,यह प्रावधान दिया गया है कि इन उपबंधो में संशोधन के लिए संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के सम्पूर्ण सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाने पर राज्य विधान मण्डलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके संशोधन का अनुमोदन करने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जायेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संविधान संशोधित हो जायेगा।

04. **निम्नलिखित उपबंधों के संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है–**

1. **राष्ट्रपति का निर्वाचन**
2. **संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार**
3. **संघ और राज्य की कार्यपालिका**
4. **संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति का विस्तार**
5. **संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व**
6. **सातवी अनुसूची की किसी सूची में।**

आधार भूत ढॉचे का सिद्धान्त –

आधारभूत ढॉचा विधायिका पर अधिरोपित एक–2 निर्बन्धन है जिसे वह संविधान संशोधन द्वारा न्यून या समाप्त नहीं कर सकती।

केशवानन्द भारती के मामले में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग करते हुये न्यायमूर्ति सीकरी ने निम्नलिखित संवैधानिक लक्षणों को संविधान का आधारभूत ढॉचा माना है –

1. **संविधान की सर्वोच्चता**
2. **लोकतंत्रात्मक गणराज्य**
3. **धर्म निरपेक्ष**
4. **शक्तियों का प्रथक्करण**
5. **परिसंघीय संविधान**

केशवानन्द भारती के मामले में उच्चतम न्या0 द्वारा निर्धारित किया गया कि संसद संविधान के आधारभूत ढॉचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नही कर सकती है।

केशवानन्द भारती के केस में उच्चतम न्या0 के निर्णय के विरूद्ध प्रतिक्रियास्वरूप संसद ने 42वॉ संविधान संशोधन पारित किया।

42 वें संविधान संशोधन में 368 के अधीन किये गये संशोधन पर किसी भी न्या0 में किसी भी आधार पर आपत्ति नही की जायेगी। खण्ड 5 में यह उपबंध था कि संविधान संशोधित करने की संसद की शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं होगा।

मिनर्वामिल्स बनाम भारत संघ 1980 एस0 1789 में उच्चतम न्या0 ने आर्टि0 368 के खण्ड 4 व 5 को जो 42 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, असंवैधानिक द्योषित कर दिया।

इस मामले में निम्नलिखित तत्वों को आधार भूत ढॉचें का भाग माना गया है–

01.संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति
02.मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सामंजस्य
03.न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।

Relations between the Union and the states –

Legislative relative and administrative relations –

केन्द्र और राज्य के संबंध को संविधान के भाग 11 व 12 में बताया गया है। भाग–11 केन्द्र और राज्य के मध्य के विधायी और प्रशासनिक संबंधों को बताता है तथा भाग–12 वित्तीय संबंधों को बताता है।

इस प्रकार केन्द्र व राज्य संबधो को तीन शीर्षो के अन्तर्गत समझा जा सकता है।

1. विघायी संबंध आर्टि0 245–255
2. प्रशासनिक संबंध आर्टि0 256–263

1. विधायी संबंध –

आर्टि0 245 के अनुसार संसद भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बन सकती है और किसी राज्य का विधान मण्डल सम्पूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए विधि बना सकता है।

संसद द्वारा बनाई गयी कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नही समझी जायेगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा।

Theory of territorial Nexus –

राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है किन्तु यह विधि राज्यक्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में लागू हो सकेगी यदि राज्य और उस विषय–वस्तु में कोई संबधं हो जिसके ऊपर वह विधि लागू होती है। इसे क्षेत्रिक सम्बंधी का सिद्धांत कहते है।

आर्टि0 246 विधायन के क्षेत्रों को तीन सूचियों में बांट कर बताता है।

1. संघ सूची – संसद द्वारा विधायन
2. राज्य सूची – राज्य विधानमण्डल द्वारा विधायन
3. समवर्ती सूची– संसद और राज्य विधानमण्डल दोनो विधायन का कार्य कर सकते है।

जो विषय तीनों सूचियों के अन्तर्गत नहीं आतें उन पर संसद का कानून बना सकती है। ऐसे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते है और अवशिष्ट शक्तियॉ संसद के पास होती है। (आर्टी0 248)

आर्टि0 249 के अनुसार यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित मे यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित ऐसे विषय से संमंध में विधि बनाये जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद द्वारा उस विषय पर विधि बनाना विधि संगत होगा।

राज्य सभा द्वारा पारित ऐसे संकल्प एक वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। संसद द्वारा पारित विधि संकल्प के प्रवृत्त न रहने के 06 माह के अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नही रहेगा।

आर्टि0 250 –यदि आपात घोषणा प्रवर्तन में है , तो राज्य सूची में वार्णित किसी विषय में संसद विधि बना सकती है।

आर्टि0 352 – दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय है तो संसद उस विषय पर विधि बन सकती है।

आर्टि0 353 –के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय करारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है ।

आर्टि0 256–263 – संघ राज्य के प्राशनिक संबधों को नियमित करते है